CJAE – 2 (H)

कनिष्ठ लेखा अधिकारी सामूहिक परीक्षा

दिसम्बर, 2008

सेवा नियम (पुस्तकों सहित)

समय : 3 घंटे | *अधिकतम अंक : 150*

अनुमत पुस्तकें :

1. मूल नियमावली खंड I और II
2. पूरक नियमावली
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972
4. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972
5. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960
6. छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली
7. पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों से संबंधित वेतन निर्धारण आदेश

उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म :

1. स्थानांतरण यात्रा भत्ता बिल फार्म

टिप्पणियां :

(i) प्रश्न संख्या **1** तथा **2** अनिवार्य है तथा शेष में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंक प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं।

(ii) जहां आवश्यक हो अपने उत्तर के समर्थन में संगत नियमों का उल्लेख कीजिए।

(iii) इस प्रश्न पत्र में **8** प्रश्न और **6** पृष्ठ हैं।

1. निम्नलिखित के विस्तार सहित उत्तर दीजिए:-

(i) केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के प्रभावी होने और महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों की स्वीकार्यता की तारीख क्या है?

(2 अंक)

(ii) क्या सरकारी कर्मचारी के लिए 1.1.2006 से संशोधित वेतन नियमों का विकल्प देना अनिवार्य है, यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारी को क्या विकल्प उपलब्ध है?

(2 अंक)

8

(iii) छठे वेतन आयोग के संबंध में सरकार द्वारा कितने वेतन बैंड अनुमोदित कि गए हैं। (2 अंक

(iv) 1.1.2006 को या उसके बाद भर्ती किए गए सरकारी कर्मचारी का वेत निम्नलिखित ग्रेड वेतन में निर्धारित कीजिएः-

(क) 4200/- रुपए (ख) 4800/- रुपए

(ग) 7600/- रुपए (घ) 4600/- रुपए (8 अंक)

(v) एक सरकारी कर्मचारी को 4800/- रुपए के ग्रेड वेतन में दौरे पर स्वीका दैनिक भत्ता क्या होगा? (2 अंक)

(vi) एक सरकारी कर्मचारी को 4600/- रुपए के ग्रेड वेतन में रेलगाड़ी से यात्र भत्ते की हकदारी क्या है? (2 अंक)

(vii) एक सरकारी कर्मचारी को 1.1.2006 के पश्चात देय सेवानिवृत्ति उपदा की अधिकतम सीमा क्या है? (2 अंक)

(viii) दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के परिवार को 1.1.2006 के पश्चात देय परिवार पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? (2 अंक)

(ix) 1.9.2008 से मातृत्व अवकाश और बाल परिचर्या अवकाश की सीमा क्य है? (2 अंक)

(x) संशोधित संतान शिक्षा भत्ता के अंतर्गत किन-किन मदों की प्रतिपूर्ति की ज सकती है? (2 अंक)

(xi) ग्रेड वेतन (2 अंक)

(xii) संशोधित परिलब्धि (2 अंक)

2. निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिएः-

(i) एक सरकारी कर्मचारी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक स्थान पर स्थानांतरित किया गया वह उस स्थान पर चला गया परंतु सरकारी आवास उपलब्ध न होने के कारण अपने परिवार को पुराने स्थान पर छोड़ गया। नए स्थान पर कार्य आरंभ करने वे 3 माह पश्चात वह अपने परिवार को लाने के लिए पुराने स्थान पर गया। उसक परिवार अपरिहार्य स्थिति होने के कारण उसके साथ नहीं आ सका। उसने अपन द्वितीय यात्रा के लिए यात्रा भत्ते का आवेदन किया। वेतन तथा लेखा अधिकारी यह कहते हुए दावे को अस्वीकृत कर दिया कि उसका परिवार उसके साथ नह आया। अतः द्वितीय यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जा सकता। (3 अंक)

(ii) एक सरकारी कर्मचारी का पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर वह अपने परिवार को पुराने स्थान पर छोड़ गया। वह अपना व्यक्तिगत सामान अपनी हकदारी के अनुसार मालगाड़ी से ले आया। उसके स्थानांतरण की तारीख को उसका मूल वेतन 6900/- रुपए था। उसने अपना यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किया। वेतन तथा लेखा अधिकारी ने यह कहते हुए उसका दावा उसकी हकदारी के 1/3 तक सीमित कर दिया कि उसके साथ उसका परिवार नहीं आया था अतः वह अपनी हकदारी के 1/3 का हकदार है। *(5 अंक)*

(iii) एक लेखाकार ने 1.4.1999 को सरकारी सेवा प्रारंभ की। उसने 16.6.1999 को 5 दिन के अर्जित अवकाश के लिए आवेदन किया। विभागाध्यक्ष द्वारा इस आधार पर उसका अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया कि उसने एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है अतः वह अर्जित अवकाश का हकदार नहीं है।

(2 अंक)

(iv) एक अधिकारी जिसका मूल वेतन 8000/- रुपए है दौरे पर मुंबई के एक होटल में 2 जनवरी को 0700 बजे से 5 जनवरी को 2030 बजे तक ठहरता है। वह 120 रुपए प्रति दिन के हिसाब से आवास प्रभार की अदायगी करता है। उसे स्वीकार्य दैनिक भत्ते की गणना कीजिए। *(10 अंक)*

(v) समूह 'क' के एक सरकारी कर्मचारी को स्थान 'ए' से पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थान 'बी' पर स्थानांतरित किया गया। छह माह पश्चात पुनः उसका स्थानांतरण स्थान 'बी' से पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थान 'सी' पर कर दिया गया। वेतन तथा लेखा अधिकारी ने उसे विशेष ड्यूटी भत्ता यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया कि उसका स्थानांतरण पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर हुआ है।

(10 अंक)

3. निम्नलिखित ब्योरे से अर्हता सेवा, अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन के संराशीकृत मूल्य और परिवार पेंशन की गणना कीजिए (1.1.2006 से पूर्व लागू दरों पर):-

(क) जन्म की तारीख	:	1.2.1946
(ख) सेवारंभ की तारीख	:	18.8.1969
(ग) स्थायी करण की तारीख	:	1.7.1971
(घ) निम्नलिखित अवधि की छुट्टी लीः-		
निजी कार्य से असाधारण छुट्टी		180 दिन
चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर असाधारण छुट्टी		40 दिन
निजी कार्य से अर्ध वेतन छुट्टी		60 दिन
1.9.2005 से 30.9.2005 नक परिवर्तित छुट्टी		

(ङ) 26.11.1977 से 10.12.1977 तक अकार्य दिवस माना गया। इस बाधा
सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ (कंडोन) कर दिया गया।

(च) 1.7.2005 से 14,300-400-18,300 रुपए के वेतनमान में 15,500 रुपए मू
वेतन

(छ) 1.1.2006 से 24% पर महंगाई भत्ता

(ज) 31.1.2005 तक 500 रुपए प्रतिमाह विशेष भत्ता

(5+10+5+5+5=30 अंक)

4. निम्नलिखित सूचना के आधार पर 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार सामान्य भविष्
निधि पर ब्याज की गणना कीजिए:-

(क) 31.3.2004 को अंत शेष 2,00,000/- रुपए

(ख) मासिक अभिदान : 5,000/- रुपए

(ग) ब्याज दर : 8%

(घ) जून 2003 के दौरान 30,000/- रुपए अग्रिम लिया जो 30 किस्तों में वसूल किया जाना है।

(ङ) जून 2004 में 10,000/- का अग्रिम लिया जो 10 समान किस्तों में वसूल किया जाना है।

(च) जून 2003 में लिए गए अग्रिम को जी.पी.एफ.(सी.एस.) नियम, 1960 के नियम 16क के अधीन अप्रैल 2004 को आंशिक अंतिम आहरण में परिवर्तित कर दिया गया।

(छ) जुलाई 2004 माह से अभिदान को कम करके 4,000 रुपए करने का अनुरोध किया।

(30 अंक)

5. (क) निम्नलिखित ब्योरे से श्री एक्स, सहायक का स्थानांतरण पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थान 'ए' से स्थान 'बी' पर होने पर उन्हें स्वीकार्य स्थानांतरण यात्रा भत्ते (मिश्रित स्थानांतरण अनुदान, व्यक्तिगत सामान की ढुलाई, स्वीकार्य स्थानांतरण किराया) की गणना कीजिए:-

(i) मूल वेतन - 6900/- रुपए

(ii) 28 जून को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थान 'ए' पर अपने पद का कार्यभार छोड़ा और स्थान 'सी' जोकि उनका गृह नगर नहीं है, को 20 दिन की अर्जित छुट्टी पर चले गए। स्थान 'सी' पर अपनी छुट्टी बिताते समय उन्हें जनहित में स्थान 'सी' को स्थानांतरण के आदेश प्राप्त हुए। उन्होंने कोई अग्रिम नहीं लिया था।

(iii) उसके परिवार में उनकी पत्नी और 10 वर्ष और 4 वर्ष के दो बच्चे थे। स्थान 'सी' पर उनका परिवार उनके साथ गया। उन्होंने अपने परिवार के साथ राजधानी से 3एसी से यात्रा की।

(iv) वे 29 जून को स्थान 'सी' पर पहुंचे। उन्हें 21 जुलाई को स्थान 'सी' पर ड्यूटी शुरु करने की अनुमति दी गई।

(v) वे 3000 कि.ग्रा. व्यक्तिगत सामान ले जाने के हकदार थे।

(vi) रेलगाड़ी का किराया इस प्रकार थाः-

स्थान 'ए' से 'सी' राजधानी गाड़ी से	1880 रु. 3एसी से
स्थान 'ए' से 'सी' साधारण गाड़ी से	1600 रु. 3एसी से
स्थान 'ए' से 'सी' राजधानी गाड़ी से बच्चे का किराया	940 रु.

(ख) व्यक्तिगत सामान का परिवहन प्रभारः

(i) मालगाड़ी से 1779/- रुपए प्रति 1000 किग्रा.

(ii) यात्री गाड़ी से 2223/- रुपए प्रति 1000 किग्रा. *(10+10+10 अंक)*

6. निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिएः-

(i) 31.12.2003 से पूर्व भर्ती किए गए एक सरकारी कर्मचारी ने यह कहते हुए सामान्य भविष्य निधि में अभिदान देने से इनकार कर दिया कि जीपीएफ (सीएस) नियम, 1960 के अनुसार निधि में अभिदान देना अनिवार्य नहीं है। सामान्य भविष्य निधि में अभिदान देना क्या अनिवार्य है, यदि हैं, तो उस नियम का उल्लेख कीजिए जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को सरकार की भविष्य निधि में अभिदान करना अनिवार्य है। *(5 अंक)*

(ii) सरकारी कर्मचारी जिसने पद पर लियन प्राप्त किया है किन परिस्थितियों में उस पद पर अपना लियन बनाए रखता है? *(5 अंक)*

(iii) एक सरकारी कर्मचारी पर शास्तियों की श्रृंखला में वेतन वृद्धि रोके जाने की शास्ति लगाई गई। ऐसी शास्तियों को विनियमित करने की प्रक्रिया विस्तारपूर्वक बताइए। *(10 अंक)*

(iv) 1.8.2003 से 4000-100-6000 रुपए के वेतनमान में 4800/- रुपए वेतन आहरित करने वाले एक उच्च श्रेणी लिपिक का वेतन कम करके 1.10.2003 से दो वर्ष के लिए 4600 रुपए कर दिया गया। वेतन कम किये जाने के आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी वेतन कम किए जाने की अवधि में वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करेगा और वेतन कम कि जाने की इस अवधि के समाप्त होने पर, वेतन घटाए जाने की इस अवधि का प्रभाव उसके भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित किए जाने पर होगा। शास्ति पूरी होने तक समय-समय पर उसका वेतन विनियमित कीजिए। *(10 अंक)*

7. नियम की स्थिति बताते हुए टिप्पणी कीजिएः-

(i) वे प्रयोजन जिनके लिए सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम बिना कोई विशेष कारण बताए प्रदान किए जा सकते हैं। ऐसे अग्रिमों की सीमा क्या है। ऐसे अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए कौन सक्षम है?

(10 अंक)

(ii) विशेष कारण सहित सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत करने की सीमा क्या है? क्या शेष के 90% की सीमा तक अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है? यदि हां, तो इसे स्वीकृत करने में कौन सक्षम है। *(10 अंक)*

(iii) सामान्य भविष्य निधि में अभिदान की शर्तें क्या हैं ? *(10 अंक)*

8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :-

(i) छठे वेतन आयोग के पश्चात सरकारी आदेशों के अंतर्गत जारी सेवानिवृत्ति हितलाभों की मुख्य विशेषताएं

(ii) समय वेतनमान

(iii) निर्वाह अनुदान

(iv) संवर्ग

(v) स्थानापन्न

(vi) अन्यत्र सेवा *(6X5=30 अंक)*

CJAE – 2 (E)

COMMON JUNIOR ACCOUNTS OFFICER EXAMINATION

DECEMBER, 2008

SERVICE RULES (With Books)

Time Allowed : 3 Hours *Maximum Marks : 150*

Books allowed:

1. Fundamental Rules Vol.I & II.
2. Supplementary Rules.
3. Central Services (Pension) Rules, 1972.
4. Central Services (Leave) Rules, 1972.
5. General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960
6. Leave Travel Concession Rules.
7. Orders Regarding Fixation of Pay of Re-employed Pensioners.

Forms to be supplied:

1. Transfer TA Bill Form.

Notes :

1. Answer question nos. **1** and **2** which are compulsory and any **three** of the rest. Marks are indicated against each question.
2. Quote relevant rules in support of your answer wherever necessary.
3. This question paper contains **6** pages and **8** questions.

1. Elaborate the following:-

(i) What is the date of effect of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 and admissibility of other allowances including Dearness Allowance? *(2 marks)*

(ii) Is it compulsory for the Govt. servant to opt for Revised Pay Rules from 1.1.2006, if no, what are the options available to Govt. servant? *(2 marks)*

(iii) How many Pay Bands have been approved by the Govt. in respect of Sixth Pay Commission. *(2 marks)*

(iv) Fix the pay of the Govt. servant recruited on or after 1.1.2006 in the following Grade Pay:-

(a) 4200/-
(b) 4800/-
(c) 7600/-
(d) 4600/- *(8 marks)*

(v) What is the Daily Allowance on tour admissible to a Govt. servant in the Grade Pay of Rs. 4800/-? *(2 marks)*

(vi) What is the T.A entitlement of a Govt. servant in the Grade Pay of Rs. 4600/- by train? *(2 marks)*

(vii) What is the Maximum Limit of Retirement Gratuity Payable to a Govt. servant after 1.1.2006? *(2 marks)*

(viii) What is the limit of Minimum & Maximum family pension payable to family of the deceased Govt. servant/Pensioner after 1.1.2006? *(2 marks)*

(ix) What is the limit of Maternity leave and Child care leave w.e.f 1.9.2008? *(2 marks)*

(x) What items are reimbursable, under the revised Children Education Allowance? *(2 marks)*

(xi) Grade Pay *(2 marks)*

(xii) Revised Emolument. *(2 marks)*

2. Comment on the following:-

(i) A Govt. servant was transferred to a station in North Eastern Region. He proceeded to that station leaving his family behind at old station due to non-availability of Government accommodation. After 3 months of his joining new station he went to old station to bring his family. His family could not accompany him due to unavoidable circumstances. He applied for T.A. for his IInd Journey. P.A.O. rejected the claim saying that his family did not accompany him. Hence no T.A. for IInd Journey. *(3 marks)*

(ii) A Govt. Servant on his transfer to North Eastern Region left his family at old station. He brought his personnel effect by goods train as per his entitlement. His basic pay was Rs.6900/- on the date of his transfer. He submitted his T.A. Bill. P.A.O restricted his claim to 1/3rd of his entitlement saying that his family did not accompany him so he is entitled for 1/3rd of his entitlement. *(5 marks)*

(iii) An accountant joined Government service on 1-04-1999. On 16.06.1999 he applied for E.L for 5 days. The leave was not sanctioned by the Head of Department on the ground that he has not completed one year of service and hence he is not entitled for E.L *(2 marks)*

(iv) An officer with Basic Pay of Rs.8000/- stays at Mumbai in a Hotel, while on tour, from 0700 Hrs on 2nd January to 2030 Hrs of 5th January. He pays lodging charges at Rs.120 per day. Calculate the D.A. admissible to him. *(10 marks)*

(v) A Group 'A' government servant was transferred from a station 'A' to a station 'B' in N.E.R. After 6 months he was again transferred to station 'C' in N.E.R from station 'B'. The P.A.O disallowed him Special Duty Allowance stating that transfer is within N.E.R.

(10 marks)

3. Calculate the qualifying service, superannuation pension, Retirement Gratuity, Commuted value of pension and family pension from the following particulars (As per rates applicable before 1.1.2006):-

(a) Date of Birth : 1-2-1946

(b) Date of joining service : 18-08-1969

(c) Date of Confirmation : 1-7-1971

(d) Availed the following spells of leave:
Extraordinary leave on private affairs 180 days
Extraordinary leave on Medical Cert. 40 days
Half pay leave on private affairs 60 days
Commuted leave for 1-09-2005 to 30-09-2005.

(e) Awarded dies non from 26-11-1977 to 10-12-1977. The interruption was condoned by Competent Authority.

(f) Basic pay Rs. 15,500 in the scale of Rs. 14300-400-18300 with effect from 1-7-2005.

(g) Dearness Allowance at 24% from 1.1.2006.

(h) Special Allowance of Rs. 500 per month till 31-01-2005.

(5+10+5+5+5=30 marks)

4. Calculate the Interest on General Provident Fund (G.P.F.) as on 1.4.2005 with the following information:-

(a) Closing balance as on 31-03-2004 is Rs. 2,00,000/-.

(b) Monthly Subscription :- Rs. 5,000/-

(c) Rate of interest :- 8%.

(d) Taken an advance of Rs. 30,000/- during June'2003 recoverable in 30 installments.

(e) Took an advance of Rs. 10,000/- in June'04 recoverable in 10 equal installments.

(f) Advance taken in June'03 was converted into part-final withdrawal in April, 2004 under Rule 16-A of G.P.F. (C.S.) Rules, 1960.

(g) Requested for reduction in subscription to Rs. 4,000/- from the salary month of July'04.

(30 marks)

5. **(a)** Calculate the transfer traveling allowance (Composite transfer grant, carriage of personal effect, admissible transfer fare) admissible to Sh. 'X', a Assistant on transfer from Station 'A' in N.E.R to Station 'B', from the under mentioned details:-

(i) Basic Pay :- Rs. 6900/-

(ii) Relinquished charge of his post at station 'A' in North East Region on 28 June and proceeded on earned leave of 20 days to station 'C' which is not his home town. While spending his leave at station "C" received orders of transfer to station 'C' in public interest. No advance was drawn by him.

(iii) His family consisted of his wife and two childrens aged 10 years and 4 years. His family accompanied him to station 'C'. He along-with his family travelled in 3AC by Rajdhani.

(iv) He reached Station 'C' on 29-06. He was allowed to join his duties in Station 'C' on 21-07.

(v) He was entitled to carry 3000 kg. Of personal effects.

(vi) Train fare are as under :-

Station A to C by Rajdhani train	Rs.1880 by 3 AC
Station A to C by Ord. Train	Rs.1600 by 3 AC
Station A to C by Rajdhani Train to Minor	Rs.940

(b) Charges for transport of personal effect by:-

(i) goods train Rs. 1779/- per 1000 Kg.

(ii) passenger train Rs. 2223/- per 1000 Kg.

(10+10+10 marks)

6. Comment on the following:-

(i) A government servant recruited prior to 31.12.2003 has refused to subscribe to General Provident Fund stating that as per G.P.F (C.S) Rules, 1960 it is not compulsory to subscribe to the fund. Is it compulsory to join G.P.F, if so, quote the rule under which the Government servant has compulsorily to join the provident fund of the Government.

(5 marks)

(ii) Under which circumstances the Government servant who has acquired a lien on a post retains his lien to that post?

(5 marks)

(iii) A Govt. servant was imposed a penalty of stoppage of increment in a series of penalties. Elaborate the procedure to regulate such penalties.

(10 marks)

(iv) An upper Divisional Clerk drawing the pay of Rs. 4800/- in the scale of Pay of Rs. 4000-100-6000 with effect from 1-08-2003 was reduced to stage of Rs.4600 with effect from 1-10-2003 for a period of two years. The order of reduction states that the Government servant will not earn increments during the period of reduction and on the expiry of the period of reduction, that period of reduction will have the effect of postponing his furture increments. Regulate his pay from time to time till the completion of penalty.

(10 marks)

7. Comment with Rule position:

(i) The purposes for which advances may be granted from GPF without giving special reasons. What is the limit of such advances. Who is competent to sanction such advances.

(10 marks)

(ii) What is the limit of sanctioning advances from GPF with special reason. Can advance upto the limit of 90% of balance can be sanctioned. If yes, who is competent to sanction it.

(10 marks)

(iii) What are the conditions of subscription to the General Provident Fund?

(10 marks)

8 Write short note on:-.

(i) Salient features of retirement benefits issued under Govt. orders after 6th Pay Commission.

(ii) Time Scale Pay

(iii) Subsistance Grant

(iv) Cadre

(v) Officiate

(vi) Foreign Service. *(6x5=30 marks)*